प्रेषक,

संख्याः ७१२/18(1)/2006

एन०एस०नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांक 12 जुलाई, 2006

विषय:—गोल्ड प्लस ग्लास इण्डस्ट्रीज को ग्राम सभा थथौला की 2.907 है0 भूमि पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–643/भूमि व्य0–भूमि आवंटन–06 दिनांक 12–05–2006 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या–यू0ओ0–03/राजस्व/2003 दिनांक 13–2–2003 को निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय गोल्ड प्लस ग्लास इण्डस्ट्रीज लि0 को ग्लास उद्योग की स्थापना हेतु राजस्व अनुभाग–1 (उ0प्र0शासन) के शासनादेश संख्या–558/16(1)/73–रा–1 दिनांक 9 मई, 1984 तथा शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक 12–9–97 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील रुड़की के ग्राम थथौला की खसरा संख्या–103म रकबा 1.00 है0, खसरा संख्या–119म रकबा 0.154 है0, खसरा संख्या–120म रकबा 0.491 है0, खसरा संख्या–121म रकबा 0.788 है0 एंव खसरा संख्या–140म रकबा 0.474 है0 अर्थात कुल 2.907 है0 भूमि को वर्तमान बाजार मूल्य के दोगुना नजराना एक मुश्त जमा करने के अतिरिक्त वर्तमान दर पर निकाली गयी मालगुजारी के तीस गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गई है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

..........(2)

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा0-6 दिनांक 9 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षो के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए का कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा कम्पनी का विघटन हो जाता है, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) जो भूमि इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाईप लाईल से आच्छादित है ऐसी भूमि को भारत सरकार द्वारा पाईप लाईन के लिये भूमि में उपयोग (अर्जन) का अधिकार अधिकृत किया गया है। इस भूमि पर पाईप लाईन एक्ट की धारा-15 के अन्तर्गत निर्माण व खुदाई दण्डनीय अपराध है, जो कि प्रश्नगत कम्पनी पर भी लागू होगा। इसके लिये निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आई0ओ0सी0 से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

(7) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु सं0 1 से 6 तक की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि में निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी जिसके लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2- उक्त आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

.....(3)

हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4- अपर सचिव (डेरी), उत्तरांचल शासन।
5- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम, प्रा0लि0 देहरादून।
6- चीफ मैनेजर (पाईप लाईन डिवीजन), जी0-9 अलीयूवर जंग मार्ग, अंधेरी वेस्ट मुम्बई।
7- टर्मिनल मैनेजर (इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0) बल्क डिपो रूड़की, लक्सर रोड नजीरा, रूड़की हरिद्वार।
8- निदेशक, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
9- श्री सुरेश त्यागी, डायरेक्टर, गोल्ड प्लस इण्डस्ट्रीज लि0, जी-192, प्रशान्त विहार, दिल्ली-110085
10- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।